कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देवरिया-274001
Office of The Executive Engineer
Construction Division, PWD Deoria-274001

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

(निकट पोस्टमार्डम रोड), देवरिया
(Near Postmortem Road, Deoria)
Office : 05568-222462
E-mail ID-cdpwddeoria@gmail.com

पत्रांक-1933/1 सी   दिनांक- 15-11-2022

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
देवरिया।

विषय– जनपद देवरिया में निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सिरवनिया, तहसील व जिला देवरिया में स्थित गाटा सं० 1034 में स्थित भारत पेट्रोलियम कारपॅरेशन, लिमिटेड, के नाम से स्थित देवरिया कसया पडरौना मार्ग (राज्य मार्ग सं० 79) के किमी० 16 में चै० 15.935 मार्ग के बाये तरफ आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– मुख्य अभियन्ता गोरखपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, देवरिया का पत्रांक 9622/132 पे०प०–गो०क्षे०/2022–23 दिनांक 10.11.2022 एवं अधीक्षण अभियन्ता, देवरिया वृत्त, लो०नि०वि०, देवरिया का पत्रांक 1866/3यात–दे०वृत्त/22 दिनांक 12.10.2022 व आपका पत्रांक 260(IV)/शस्त्र–2022 दिनांक 26.07.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें कि जनपद देवरिया में निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सिरवनिया, तहसील व जिला देवरिया में स्थित गाटा सं० 1034 में स्थित श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह ग्राम सकतुआ बुजुर्ग, पथरदेवा जिला देवरिया के नाम से स्थित देवरिया कसया पडरौना मार्ग (राज्य मार्ग सं० 79) के किमी० 16 में चै० 15.935 मार्ग के बाये तरफ आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की अपेक्षा की गयी है। मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, गोरखपुर के पत्रांक 9622/132 पे०प०–गो०क्षे०/2022–23 दिनांक 10.11.2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार (पेट्रोल पम्प) की स्थापना करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है।

शर्त/टिप्पणी

1– पेट्रोल पम्प का निर्माण प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के शा०सं० 1882/23–12–19–1365/17 टी.सी. लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी "**The Uttar Pradesh Guidlines for Issunig of NOC for Setting up fuel Station along UPPWD Roads 2019**" में दिए गए निर्देशों एवं चेकलिस्ट की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

2– प्रस्तावित स्थल के दोनो ओर 300 मीटर तक कोई रोड क्रासिंग नही होनी चाहियें।

3– आई०आर०सी०–12, 2009 के अनुसार मार्ग पर 300 मी० की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट स्थापित नहीं होना चाहिए।

4– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाय। प्रस्तावित निर्माण में बफर स्ट्रिप मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मीटर (75 फीट) छोडकर होनी चाहिए। लो०नि०वि० की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एंव साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।

5– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के प्रवेश एंव निकास पर सडक पर यातायात की विजिविलिटी होनी चाहिये, इसमें कोई अवरोध न हो। अन्य कोई आवश्यक बिन्दु जो स्थालीय परिस्थितियों तथा यातायात की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो, प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के वास्तविक निर्माण के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय।

6– यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का लाइसेन्स डीड सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, एंव पार्टी द्वारा एक्जीक्यूट करा लिया जाय।

8– भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साईन बोर्ड या होर्डिंग न लगाया जाय, जिसमें भूमि तल से 3.00 मीटर का क्लीयरेन्स न् हो।

10– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्गो पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में न्यूनतम 1.00 मीटर स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कराया जाय, ताकि पानी सुविधापूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें।

11– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की ढाल रिटेल आउटलेट की ओर न्यूनतम 2 प्रतिशत होगा तथा पुलिया आई०आर०सी० एस०पी०–13, 1983 के अनुसार निर्मित की जायेगी। रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख रखाव कम्पनी द्वारा स्वंय वहन किया जाएगा, परन्तु इसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
पो०-बैतालपुर, देवरिया (उ०प्र०)

12– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पेप्ड एरिया का लेविल सडक के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से कम से कम 0.30 मी0 नीचे रखा जायेगा।

13– टर्निंग कर्व रेडियस 13.00 मीटर रखा जाय एंव रेडियस आफ नान टर्निंग कर्व 1.500 मीटर से 3.00 मीटर के बीच रखा जाय।

14– प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर न होने पर एक वर्ष के बाद पुनः अनुमति लेनी पडेगी।

15– जब भी मार्ग के चौडीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो चौडीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करानी होगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर निर्माण हटाना होगा।

16– मार्ग पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर न बनाया जाय, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।

17– पेट्रोल उत्पाद के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पर्यावरण/प्रदुषण विभाग के अधिनियमों एंव अर्हताओं की जानकारी कर जान–माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसका उत्तरदायित्व पम्प मालिक का होगा।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और इसके लिए विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

संलग्न– 1– मानचित्र एक प्रति में।
2– चेक लिस्ट एक प्रति में।
3– लाइसेन्स डीड मूल में।

15-11-22
(संजीव कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,देवरिया

पत्रांक– दिनांक–

1– प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (द्वितीय), निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,देवरिया

Rajesh
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
पो०-बैतालपुर, देवरिया (उ०प्र०)